न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2026-61RAAJodhpur2026-26RTA223 Bheekharam Vs Kumbharam etc

भीखाराम पुत्र श्री बगताराम जाति माली निवासी गुलाबजी का जुनीया बेरा, ग्राम बालरवा, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब
ना
म

1. कुम्भाराम पुत्र श्री मांगीलाल जाति माली निवासी बजरंग नगर बिंजवाड़ीया, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तिंवरी, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26 अगस्त 2025 सहायक कलक्टर औसियां राजस्व मूल वाद संख्या 397/2025 कुम्भाराम बनाम भीखाराम इत्यादि

उपस्थित–
श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री धमेन्द्र सुराणा, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या दो

नि र्ण य

दिनांक : 26 मई 2026

अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर औसियां द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 397/2025 अनवान कुम्भाराम बनाम भीखाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26 अगस्त 2025 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 28 जनवरी 2026 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया गया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 42 रकबा 0.5885 हैक्टेयर ग्राम बजरंग नगर पटवार हल्का बिंजवाड़ीया, तहसील तिंवरी के संबंध में धारा 183 एवं 188

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत बेदखली एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26 अगस्त 2025 के जरिये वाद स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में दावा दिनांक 08.07.2025 को दर्ज किया गया तथा अपीलान्ट के नाम नोटिस जारी किये गये, उसमें अपीलांट का गलत पता बजरंग नगर बिंजवाड़ीया बताया गया, जबकि अपीलार्थी गांव बालरवा में निवास करता है। यह बात रेस्पोडेन्ट को बखुबी मालुम थी, फिर भी अपीलार्थी को गलत पते पर नोटिस जारी करवाये गये एवं उसके विरूद्ध विधिविरूद्ध तरीके से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुए विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिक प्रावधानों एवं प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत पारित किये गये है। यह उल्लेखनीय है कि स्वयं रेस्पोडेन्ट के कथनानुसार उसने खसरा नंबर 42 की भूमि काश्त हेतु इजारे पर अपीलान्ट को दी थी। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट को अतिक्रमी नही माना जा सकता व धारा 188 का दावा चलने योग्य नही था। अधीनस्थ न्यायालय में दावा मात्र 38 दिनो में व तीन पेशीयो में ही निर्णित कर दिया गया। इतना ही नही स्वयं वादी द्वारा कोई भी गवाह व दस्तावेज प्रदर्शित नही करवाये। इस कारण उसे वाद के साथ पढा ही नही जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी के केवल जबानी कथनो के आधार पर दावा डिक्री कर दिया जो किसी भी सुरत में नही किया जा सकता था। अपीलान्ट वर्षो से खसरा नंबर 42 पर काश्त करता आ रहा है। मौके पर पक्की तारबंदी की हुई है तथा रेस्पोडेन्ट स्वयं को भली भांती ज्ञात है कि अपीलार्थी वर्षो से काबिज है, फिर भी उसने यह झुठा वाद न्यायालय में पेश किया है जो हर सुरत में खारिज किये जाने योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट को उक्त दावे में कोई नोटिस प्राप्त नही हुआ था। अभी हाल में दिनांक 18.01.2026 को पटवारी मौके पर आये तथा अपीलार्थी को बताया कि उक्त तारबन्दी की कृषि भूमि, जिस पर अपीलान्ट काबिज है, उक्त तारबन्दी को हटाने को कहां। तब अपीलान्ट ने पूछा कि ऐसा करने की क्या आवश्यकता है तो

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पटवारी ने एक फोटो कॉपी अपीलान्ट को बताई, तब अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में नकल के लिए प्रार्थना पत्र दिनांक 20.01.2026 को प्रस्तुत किया जो नकल उसी दिन 20.01.2026 को मिली, जिसे पढाने व पढने से अपीलार्थी को इसकी प्रथम जानकारी हुई। इससे पहले कोई जानकारी नहीं थी। प्रथम जानकारी से यह अपील अन्दर मियाद पेश की गई है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर औसियां द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 397/2025 अनवान कुम्भाराम बनाम भीखाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26 अगस्त 2025 को अपास्त फरमाया जावे

जवाब में रेस्पो. संख्या एक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट पर सम्मनों की समुचित तामील करवायी गई है, फिर भी अपीलांट विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए विधिनुसार कार्यवाही करते हुए उसके विरूद्ध बेदखली का विधिसम्मत निर्णय पारित किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का प्रश्न है, मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु म्याद के तकनीकी बिंदु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलांट्स अंदर म्याद शुमार की जाती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

गुणावगुण पर उपलब्ध अभिलेख मुताबिक वादग्रस्त आराजीयात अपीलांट की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। रेस्पों, संख्या एक स्वयं का अपने वाद में कथन है कि उसके द्वारा वादग्रस्त आराजीयात अपीलांट को ईजारे पर दी गई है। रेस्पोडेंट संख्या एक की उक्त स्वीकृति से अपीलांट को अतिक्रमी नहीं माना जा सकता है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये बिना, उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना तथा वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत, वाद एवं जवाबदावा के आधार पर मामले में तनकीयात कायमी एवं उभय पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुति का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिक प्रावधानो, वाद विचारण की प्रक्रिया के विपरीत पारित किये जाने पाये जाते है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिक प्रक्रिया एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील आंषिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर औसियां द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 397/2025 अनवान कुम्भाराम बनाम भीखाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26 अगस्त 2025 खारिज किये जाकर मामला विचारण न्यायालय को इस निर्देष के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह मामले में वाद विचारण की प्रक्रिया की पालना करते हुए उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिनुसार मामले का पुनः निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर